

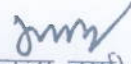
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(ओ-149/88 आर)/अलेसे-11/322 दिनांक :- 16.05.18

कार्यालय आदेश

श्री ओमप्रकाश स्वामी (लिंक नं. 8996) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण चूरु को दिनांक 29.07.2015 से 17.03.2017 तक अपने वर्तमान कार्यालय के साथ-साथ कार्यालय अधिशाषी अभियंता, (एन.आर.एच.एम.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चूरु के कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का कार्य सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता (अधिकतम 6 माह तक) स्वीकृत किया जाता है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(ओ-149/88 आर)/अलेसे-11/322 दिनांक :- 16.05.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण चूरु।
2. अधिशाषी अभियंता, (एन.आर.एच.एम.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चूरु।
3. श्री ओमप्रकाश स्वामी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण चूरु।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. रक्षित पत्रावली/ निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)